राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक : बैंक ऑफ इंडिया

53वीं एस एल बी सी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 09.11.2015

स्थान - होटल रैडिसन ब्लू , रांची

53 वां झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
53nd SLBC MEETING, JHARKHAND

53 वां झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 09.11.2015. को होटल रेडिसन ब्लू, रांची में किया गया । बैठक की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया श्री आर.एन.कार ने किया। श्री आर.एस.पोद्दार, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त, झारखंड सरकार बैठक में मुख्य अतिथि थे । श्री एन.एन.सिन्हा, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, झारखंड सरकार, श्री ए.के.सिंह , प्रधान सचिव, शहरी विकास, झारखण्ड सरकार, श्री एम.के.वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना, श्री एस.मण्डल, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री पैट्रिक बारला, महाप्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री अजीत सूद, मुख्य महा प्रवंधक, भारतीय स्टेट बैंक, , श्री पार्था देव दत्ता, महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति , झारखंड, अन्य मुख्य सचिव, सचिव, झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य स्थित बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे (संलग्नक 1 में बैठक के प्रतिभागियों की सूची संलग्न)।

प्रारंभ में श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड ने अतिथियों एवं सहभागियों का स्वागत किया तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एसएलबीसी की महत्ता पर प्रकाश डाला। उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत विभिन्न बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया।

स्वागत भाषण Welcome Address:

श्री आर.एन.कार, मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया,प्रधान कार्यालय, मुंबई ने उपरोक्त बैठक का विधिवत् उद्घाटन किया एवं स्वागत भाषण के दौरान इस बात के लिए प्रसन्नता जाहिर की कि उन्हे इस मीटिंग मे शामिल होने का सुअवसर पहली बार प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर उन्होने इस सभा मे शामिल सभी गणमान्य अतिथियों एवं व्यक्तियों को संबोधित किया।

उन्होने कहा कि सरकार की बैंकों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को एस.एल.बी.सी. झारखण्ड के सभी सदस्य बैंकों के योगदान के द्वारा झारखण्ड राज्य में क्रियान्वयन करना है. उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ़ इंडिया को एस एल बी सी, झारखण्ड के संयोजक का दायित्व निभाते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। श्री आर.एन.कार ने अपने भाषण के दौरान बैंकों द्वारा विगत सितम्बर, 2015 तिमाही में ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात 35% होने पर एवं बैंको के बढ़ते गैर-निष्पादित आस्तियों एवं इसकी दयनीय वसूली दर पर चिंता जाहिर की। उन्होनें निम्नांकित मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया :

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
I) ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण -जमा अनुपात 30-35% है जो कि काफी कम है एवं चिंता का विषय है।	**ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात मानक अनुपात यानि कि 60% के बराबर या नजदीक होना सुनिश्चित करें।**	**समस्त बैंक**
ii) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संसथान के मुख्य कार्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण सुनिश्चित करना है |	**बैंकों के माध्यम से प्रशिक्षित लोगों को वित्त पोषित कर रोजगार के उचित अवसर देना सुनिश्चित करना होगा |**	**समस्त ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं बैंक**
iiI) राज्य में NPA का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। इस पर बैंक एवं सरकार के संयुक्त प्रयास से हर हाल में विराम लगाने की आवश्यकता है.	**समस्त बैंक एवं झारखंड सरकार अनुपालन सुनिश्चित करें।**	**समस्त बैंक एवं झारखंड सरकार**
v) भूमि अभिलेखों का अद्यतन एवं डिजिटाइजेसन, सी एन टी एक्ट में आवश्यक संशोधन, राज्य सरकार द्वारा बैंकों के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन आदि मुद्दों	**झारखण्ड सरकार**	**झारखण्ड सरकार**

पर राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग अपेक्षित है।		

श्री एन एन सिन्हा , प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , झारखंड सरकार का संबोधन

श्री एन एन सिन्हा, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार ने 53वीं बैठक में उपस्थित सभी बैंको के प्रतिनिधियों को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी एवं स्वयं सहायता समूह के वित्तपोषण में पिछले तिमाही में बैंकों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया | श्री सिन्हा ने "मुद्रा" योजना में प्राप्त सफलता हेतु बैंकों को वधाई दिया एवं बताया कि झारखण्ड के बैंकों के प्रदर्शन से माननीय प्रधानमन्त्री काफी प्रभावित हुए | श्री सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह के वित्तपोषण में उत्तकृष्ट प्रदर्शन हेतु तीन सर्वोत्तम प्रदर्शन करनेवाले बैंक, जिला एवं बैंक शाखाओं को झारखण्ड सरकार द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की एवं श्री आर.एस.पोद्दार, विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। श्री एन.एन.सिन्हा ने निम्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लिंकेज पर जोर दिया जाय	स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लिंकेज पर जोर देना पड़ेगा| वर्तमान में लगभग 1.08 लाख WSHG का बचत-खाता खुला हुआ है, जबकि 61 हजार WSHG का ही ऋण संवद्धता स्थापित किया गया, बचे हुए ग्रुपों को भी ऋण से आच्छादित किया जाय		समस्त बैंक
RSETI के भवन निर्माण में कुछ बैंकों के द्वारा अनावश्यक रूप से विलम्ब किये जाने पर श्री सिन्हा ने गंभीर चिंता व्यक्त किया एवं यह आशा व्यक्त की कि अगली SLBC बैठक से पहले इन बैंकों के द्वारा भवन निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा|	आवंटित भूखंड पर RSETI भवन निर्माण का औसत प्रगति-दर निम्नरूप है,जिसपर श्री सिन्हा ने अपना चिंता जताया, 1. BOI - 100 % 2. All.Bank - 30% 3. SBI - 12 % 4. PNB - NIL श्री सिन्हा ने उपर्युक्त बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने	Allahabad Bank,SBI,PNB

	बैंकों के RSETI भवन के निर्माण का कार्य अविलम्ब प्रारंभ करें |	
यद्यपि बैंकों के द्वारा स्थापित लगभग सभी SSA में बैंक मित्रों का परिनियोजन हो चुका है, पर इनमें से काफी संख्या में बैंक-मित्र केंद्र अभी भी निष्क्रिय स्थिति में हैं| DBT CELL, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रवर्तित MONTHLY BC TRANSACTION REPORT भी समय से सभी बैंकों के द्वारा नही भेजा जा रहा है	**1. सभी बैंक अपने बैंक मित्र केन्द्रों को अविलम्व कार्यशील बनाएं |** **2. सभी बैंकों के उपस्थित नियंत्रक प्रमुख MONTHLY BC TRANSACTION REPORT को समय से भेजना सुनिश्चित करें|** **3. सवंधित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा बैंक-मित्र केन्द्रों का मासिक निरिक्षण रिपोर्ट निहित प्रपत्र में BDO/BLBC के पास जमा करना सुनिश्चित करें |**	**सभी बैंक**

<u>श्री एस मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, रांची का संबोधन</u>

श्री एस मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने 53वीं बैठक के सहभागी सभी बैंकर्स को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना को सफल बनाने एवं एस एच जी में क्रेडिट लिंकेज में संतोषजनक उपलब्धि पर बधाई दी एवं उन्होंने निम्न विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	**बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
1) कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण समय की मांग है तथा इसके लिए बैंकों को दीर्घकालीन कृषि ऋण के संवितरण पर बल देना चाहिए। कृषि क्षेत्र में 4% की सतत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना इस क्षेत्र के विकास के लिए अतिआवश्यक है।	**फॉरवर्ड / बैकवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना**	**राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक**
2) जिला अनुसार क्रेडिट क्षेत्र फिक्स कर AREA BASED BANKING PLAN बनाना- जैसे	जिला स्तर पर LDM एवं DDM नाबार्ड के द्वारा सभी बैंक, राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच	**राज्य सरकार, अग्रणी जिला कार्यालय/DLCC एवं समस्त बैंक**

मछली पालन/ गाय पालन / सूअर पालन / सब्जी उत्पादन इत्यादि , जो कि डी एल सी सी के द्वारा मान्य हो|	समन्वय स्थापित कर, **AREA BASED BANKING PLAN** को **DLCC** से अनुमोदन के उपरांत कार्यशील किया जाय।	
3) जेएलजी से सम्बंधित सी बी एस में उपयुक्त कोड होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया |		**एस एल बी सी एवं समस्त बैंक**
4) राज्य में सभी योग्य किसानो को केसीसी एवं रूपे केसीसी कार्ड जारी करना । इसे शतप्रतिशत खातों में निर्गत किया जाना चाहिए।		**समस्त बैंक**
5) एस एच जी क्रेडिट लिंकेज का कार्य में वर्तमान गति को जारी रखने की आवश्यकता है।		**समस्त बैंक**
6) झारखण्ड में कृषि में अपेक्षित उन्नति प्राप्त करने के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार लाना अनिवार्य है|		**झारखण्ड सरकार |**

<u>श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक का संबोधन</u>

श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने 53वीं बैठक के लिए शुभकामनाएं दी एवं कहा कि एस एल बी सी के प्रयास काफी सराहनीय है परंतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	**बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
1) एम एस एम ई सेक्टर के अंतर्गत राज्य में प्रदत ऋणों के विगत दो वर्षों के आँकड़े असंतोषप्रद रहे हैं। राज्य में इसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। एमएसएमई क्षेत्र पर काफी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र के बाद एम.एस.एम.ई.सेक्टर में कब, कैसे एवं कहाँ सुधार की जरुरत	**सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख इस क्षेत्र में की गई प्रगति का निरंतर सुक्ष्म तौर पर निगरानी करें एवं सुनिश्चित करें कि शाखा स्तर पर वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। इस क्षेत्र में उपयुक्त कौशल विकास किये जाने की आवश्यकता है**	**राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक**

है, इसे सभी बैंक मिलकर तय करें।		
2) कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन इनवेस्टमेंट की आवश्यकता है। राज्य में सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है।	सी एन टी एक्ट में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है , जिससे किसान अपने भूमि बंधक कर बैंको से ऋण ले सके	**राज्य सरकार**
3) CGTMSE योजना के अंतर्गत बैंको में ऋण प्रवाह में काफी कमी है|		**समस्त बैंक**
4) सुदूर ग्रामीण लोगों को बैंकिग सेवाएं प्रदान करने के लिए (वह गाँव जो 2000 आबादी से कम है एवं जहाँ अभी भी कोई बैंकिंग शाखा नहीं है, वहां ब्रिक मोर्टार शाखा खोलने की जरूरत है। वहां वैकल्पिक बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाये। ग्रामीण लोगों को इस सन्दर्भ में शिक्षित करने की आवश्यकता है।		**समस्त बैंक**
5) पीएमजेडीवाई में ग्रामीण लोगों के खाते को चलने में एवं रुपे क्रेडिट कार्ड को लोकप्रिय एवं संवेदनशील बनाया जाय।		**समस्त बैंक**
6) राज्य में एन पी ए की हालत बहुत दयनीय है। इसका प्रतिशत लगभग 6.27% है (जिसमे write offएवं restructured खाते शामिल नहीं है) इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। इसके लिए खातों की सघन मानीटरिंग एवं फॉलो अप,ड्यू डिलिजेन्स आदि की आवश्यकता है।	**NPA की वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाने कि आवश्यकता है**	**झारखण्ड सरकार**
7) राज्य में काफ़ी अधिक सर्टिफिकेट केस लंबित है। सर्टिफिकेट केस के अंतर्गत वसूली एवं केसों के निपटारे की संख्या	**उचित वसूली के लिए जिला स्तर पर समर्पित सर्टिफिकेट अधिकारी की बहाली अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है , झारखण्ड सरकार**	**झारखण्ड सरकार**

नगण्य है। उचित वसूली के लिए जिला स्तर पर समर्पित सर्टिफिकेट अधिकारी की बहाली की जाए 8) राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो गृह ऋण हेतु मैप स्वीकृत कर सके| प्रस्तावित पंचायती राज अधिनियम में भी कोई परिवर्तन की पहल नहीं की गई है एवं यह मुद्दा काफ़ी दिनों से राज्य सरकार के पास लंबित है ।	द्वारा अविलम्व इसे सुनिश्चित किया जाये । ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्वीकृत अधिकारी का होना अत्यंत आवश्यक है	झारखण्ड सरकार

<u>श्री ए.के.सिंह , प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, झारखंड सरकार का संबोधन</u>

श्री ए.के.सिंह, प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, झारखंड सरकार ने 53वीं बैठक में उपस्थित सभी सहभागियों को स्वागत किया उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि सरकार के पदाधिकारियों को नियमित अंतराल पर बैठक में लिए गए निर्णयों में हुई प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए । श्री सिंह ने मुद्रा योजना में, झारखण्ड राज्य में प्राप्त सफलता के लिए सभी बैंकों की सराहना की ।

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
1. श्री सिंह ने NULM योजना के कार्यान्वयन में अब तक की उप्लब्धियों पर गहरी चिंता व्यक्त की|	1.भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 15-16 के लिए झारखण्ड राज्य में 35000 लाभुकों को NULM योजना में ऋण प्राप्ति की लक्ष्य रखा गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढाकर 50000 किया गया है । उन्होंने बैंकों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का अनुरोध किया । 2.उन्होंने बताया कि NRLM के तर्ज पर NULM में भी सरकार द्वारा एक पेशेवर संस्था (JSLPS	समस्त बैंक

	जैसी) का नियोजन विचाराधीन है ।	
i) शहरी क्षेत्र में लोगों को जरुरत के अनुसार कौशल विकास हो।	**जीन लोगों को कोई भी कौशल-प्रशिक्षण प्राप्त हुआ हो, उनमे से 50% लोगों का रोजगार नौकरी के द्वारा हो, 20% स्वयं स्थापित उद्यमों के द्वारा रोजगार करे एवं इन लोगों को बैंक द्वारा ऋण प्राप्त हो ।**	**राज्य सरकार एवं समस्त बैंक**
ii) बैंको की शहरी क्षेत्रों में भी एस.एच .जी. ऋण मुहैया सुनिश्चित करने में अहम् भूमिका हो।		**समस्त बैंक**
iii) उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बैंक अपनी उचित भूमिका सुदृढ़ करें।		**समस्त बैंक**

श्री आर एस पोद्दार, विकास सचिव, , झारखंड सरकार का संबोधन

श्री आर एस पोद्दार, विकास सचिव, झारखंड सरकार ने 53वीं बैठक में उपस्थित सभी सहभागियों का स्वागत किया । उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष 15-16 के ANNUAL CREDIT PLAN में ऋण संवितरण में बैंकों के उपलब्धिओं को काफी सराहनीय कहते हुए बताया कि, पिछले अर्द्धवार्ष से ऋण-संवितरण में इस अर्द्धवार्ष को लगभग दुगुना (लक्ष्य का 28% से 54%) वृद्धि हुई है , विशेषकर कृषि एवं एसएम्ई क्षेत्रों में 59% एवं 140% के वृद्धि हुई है एवं कुल मिला कर 110% वृद्धि हुई है है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में महिला ऋण का हिस्सा बढकर, कुल ऋण का 20.39% हो चूका है |पिछले एक साल में ऋण जमा अनुपात 56.78% से बढकर 60.71% होना एक संतोषजनक प्रदर्शन है।

उन्होंने निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	**बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
I) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा-बैठक, नियमित अंतराल पर प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती है, परन्तु इस बैठक में सभी बैंक, राज्य-सरकार एवं अन्य नियंत्रकों के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा कर **लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर हमें**	**सरकार, बैंक एवं विभिन्न विभाग के पदाधिकारी विकास की समीक्षा करें एवं बचे हुए कार्य को पूरा करें।**	**राज्य सरकार, एस एल बी सी एवं समस्त बैंक**

मंथन करना है एवं बैठक में लिए गए सभी निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना है ।		
II) NRLM के अंतर्गत एस एच जी क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा देना- 20934 स्वयं-सहायता समूह में मात्र 5073 क्रेडिट LINKAGE हुए हुए हैं तथा लगभग 25% लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, इसे और बढाने की आवशयकता है ।	(NRLM) के अंतर्गत बचे हुए एसएचजी क्रेडिट लिंकेज को पूरा करना है।	एसएलबीसी एवं समस्त बैंक
III) सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक जिले में बैंको के द्वारा आरसेटी (RSETI) खोलना है , एवं इसे अपने भवन से संचालित करना है ।जबकि राज्य के 25 केन्द्रों में से मात्र 8 केन्द्रों में ही भवन निर्माण हुआ है ।	भवन निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार की ओर से सभी संचालक बैंकों को 1 करोड़ रूपये सहायता राशि प्राप्त हुई है। यदि भवन निर्माण की अनुमानित राशि इससे जयादा हो , तो बढ़ी हुई राशि बैंको को वहन करनी पड़ेगी। सभी संचालक बैंक अपने RSETI में लंबित भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करें ।	सम्बंधित समस्त बैंक
राज्य के रामगढ जिले में पंजाब नेशनल बैंक को भवन निर्माण हेतु भूमि पहले ही आवंटित कर दी गयी है ।	पंजाब नेशनल बैंक स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से लंबित भवन निर्माण शीघ्र पूरा करें।	पंजाब नेशनल बैंक
vi) कुछ जगहों पर बैंको के इर्द गिर्द दलालों की सक्रियता देखी जा रही है, इस पर सुधारात्मक कदम उठाया जाय	संवंधित बैंक, जिला एवं पुलिस प्रशासन के मदद से इस समस्या का निराकरण किया जाय	समस्त बैंक, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड पुलिस
vii) मुद्रा योजना के अंतर्गत संपार्श्विक सिक्यूरिटी का लिया जाना ।	प्राप्त सूचना के के अनुसार कुछ बैंकों के द्वारा मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति के समय, आवेदकों से संपार्श्विक सिक्यूरिटी	समस्त बैंक

	की मांग की जा रही है, इस सन्दर्भ में सभी नियंत्रक कार्यालय अपनी शाखाओं को उचित दिशानिर्देश प्रदान करें ।	
VIII) मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण में संतोषजनक उपलब्धि हुई है परन्तु किशोर एवं तरुण में सामान्य वृद्धि ही दर्ज हुई है । IX) मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों में अपर्याप्त जानकारी होना ।	इस योजना के अंतर्गत किशोर एवं तरुण ऋण में वृद्धि / गैप को दूर करें । बैंकों के द्वारा मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को, वित्तीय साक्षरता प्रदान कर उन्हें शिक्षित कर पूर्ण रूप से गाइड करें ।	समस्त बैंक समस्त बैंक
X) झारखण्ड राज्य में केसीसी ऋण स्वीकृति में गैप का होना ।	इस राज्य में 40-45 लाख किसान है , जिसमे से ज्यादातर बीपीएल श्रेणी के अन्दर आतें है- उनमे से ज्यादा से ज्यादा 15-16 लाख किसानों को ही केसीसी ऋण मिला है, बाकि बचे योग्य एवं जरूरतमंद किसानों को उक्त ऋण मिलनी चाहिए एवं गैप को दूर किया जाना चाहिए. इसके लिए बैंक उनसे मिले या कैंप लगा कर गैप को दूर करें एवं केसीसी ऋण देना सुनिश्चित करें ।	समस्त बैंक
XI) वित्तीय सेवा विभाग,वित्त मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार 5000 से ज्यादा आबादी वाले गाँव में बैंक शाखा के खोलना अनिवार्य है ।	SLBC द्वारा वैसे सभी गाँवों को विभिन्न बैंकों के बीच आवंटित किया गया है । सभी बैंकों से आग्रह है कि वे अपने आवंटित गाँवों में जल्द से जल्द शाखा का संचालन आरम्भ करें। राज्य के समस्त बैंक इस ओर अपना सहयोगात्मक रुख रखें।	समस्त बैंक

XII) यह राज्य जो की प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है , को समृद्ध बनाने के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो ।	माननीय विकास आयुक्त,झारखण्ड सरकार के इस प्रस्ताव को सभी प्रतिभागीओं के द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया|	समस्त बैंक
XIII) माननीय विकास आयुक्त,झारखण्ड सरकार द्वारा, संस्कृत श्लोक - "संघछद्व: संघद्ध्व: संघोमना:, सि जानातम..." को SLBC, झारखण्ड के TAGLINE बनाने का प्रस्ताव रखा		SLBC , झारखण्ड

श्री अजीत सूद , मुख्य महाप्रबधक , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , का संबोधन

श्री अजीत सूद, मुख्य महाप्रबधक , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 53वीं बैठक में अपने बैंक की उपलब्धियों पर चर्चा की एवं बताया कि SBI के द्वारा संचालित आरसेटी के भवन निर्माण बारे में कुछ सूचना सही नही है एवं कुछ अन्य समस्याओं के कारण इसमें विलम्ब हो रही है। इन्हें एसएलबीसी से सामंजस्य स्थापन कर राज्य सरकार को सूचित कर दी जायेगी एवं आरसेटी भवन निर्माण जिन केन्द्रों में नहीं हुआ है , उसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि उनका बैंक वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऋण , गृह ऋण शिक्षा ऋण के बजट को लगभग पूरा कर लिया है। उन्होंने PMJDY एवं सामाजिक सुरक्षा योजना, बीमा योजना के अंतर्गत SBI के भागीदारी के बारे में बताया। उन्होंने एसएलबीसी , झारखण्ड के महाप्रबंधक को बताया कि इस राज्य में उनके बैंक के समर्पित महाप्रबन्धक पदस्थापित है, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने मंच को सूचित किया कि उनका बैंक ऐसी 6 शाखा खोलेंगी जो पूरी तरह मानव रहित होगी एवं पूर्ण रुपेण नई तकनीक पर आधारित होगी, जिससे ग्राहकों को उनके बैंक के किसी भी तरह की सुविधा की जानकारी मिलेगी।

उन्होने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
I) भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के टिप्पणी से सहमत होकर राज्य में लागू Tenancy कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया।	यदि कृषि क्षेत्र में कैपिटल निर्माण , सावधि ऋण/ प्रोजेक्ट ऋण के द्वारा करनी है तो , राज्य के उक्त Tenancy एक्ट में उचित संशोधन आवश्यक है , जिससे लोग अपने घर मकान आदि को बंधक कर ऋण ले सके , कैपिटल निर्माण केसीसी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है।	राज्य सरकार

श्री पार्था देवदत्ता, महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक का संबोधन

श्री पार्था देवदत्ता, महाप्रबधक , इलाहाबाद बैंक ने मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि , विशिष्ठ अतिथि , अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं झारखंड सरकार के अन्य पदाधिकारियों को 53वीं बैठक में स्वागत किया । उन्होंने बताया की इस राज्य में बैंकों के योगदान से महत्वपूर्ण विकास हुआ है । उन्होंने एसएलबीसी को इस राज्य के विकास में भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया । सरकार के विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने , पीएमजेडीवाई, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना , बीमा योजना , ऋण जमा अनुपात वृद्धि में इस राज्य के सभी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलाहाबाद बैंक इस राज्य में कृषि एवं एस एम ई क्षेत्रों में विशेष धयान दे रहा है। इस राज्य में ऋण वृद्धि 20% हुई है जो कि औद्योगिक स्तर पर वृद्धि दर 10%, से भी ज्यादा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी बैंक अपने पूंजी संरक्षण के लिए बड़े ऋण पर ध्यान न देकर छोटे स्तर पर ऋण मुहैया कर रहे हैं।

आपने महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया :-

टिप्पणियां	बैठक के दौरान उजागर कार्रवाई विन्दु	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
I) बैंक अपने पूंजी संरक्षण के लिए बड़े ऋण पर ध्यान न देकर छोटे स्तर पर ऋण मुहैया करे	बैंक छोटे स्तर पर ही लोगों को ऋण प्रदान करे , ताकि पूंजीक्षय कम हो| श्री दत्ता ने कृषि एवं एस एम ई क्षेत्रों में ऋण वृद्धि पर विशेष ध्यान देने	समस्त बैंक

	की जरुरत पर जोर दिया|	
II) वार्षिक साख योजना(ACP) बनाते समय सवेंदनशील रवैया रखना	**राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रवन्धक/DLCC को वार्षिक अग्रिम योजना बनाते समय अति संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण का प्रवाह कृषि एवं एस एम ई क्षेत्रों में ज्यादा हो।**	**समस्त अग्रणी जिला प्रवन्धक/ DLCC/ नाबार्ड**

श्री अंजन मैत्रा, मुख्य प्रबंधक ने बैठक को सूचित किया कि पिछली 52 वीं बैठक, अगस्त,2015 एवं विशेष बैठक 14.09.2015 के कार्यवृत्त सभी को समप्रेषित कर दी गयी है और इस संदर्भ में किसी से किसी प्रकार की अनुशंसा एवं परिवर्तन का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है .अतः सर्वसम्मत्ति से उक्त दोनों बैठकों की कार्यवृत की पारित होने की पुष्टि की ।

तत्पश्चात् श्री मैत्रा ने एस एल बी सी की 53 वीं बैठक में चर्चा किए जाने वाले विन्दुओं को क्रमवार प्रस्तुत किया।

विषय	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
<u>कार्य सूची सं-2</u> <u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन**(Updation)**</u> <u>और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u>, बैंकों को उपलब्ध करा सके| **2.** राज्य के किसान एवं उद्यमी**,** भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, **MSE,** शिक्षा	52वीं बैठक के बाद कार्यसूची के इस विषय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है --- SC/ST/OBC आवेदकों की भूमि बंधक रखकर शिक्षा,गृह एवं व्यावसायिक ऋण उपलब्ध करने हेतु CNT Act की धारा-46 एवं SPT Act की धारा-20 में संशोधन हेतु TAC की उप-समिति की अनुशंसा अप्राप्त होने के कारण प्रक्रिया	राज्य सरकार

एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।	विचाराधीन है | दिनांक 07.08.2015 को आयोजित Tribal Advisory Council की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री की अनुशंसा पर एक उप समिति का गठन किया गया।यह उप समिति एससी/एसटी/ओबीसी के भूसंपत्ति को बंधक रख कर उनके द्वारा बैंक ऋण प्राप्त करने के प्रावधानों पर विचार कर सीएनटी/एसपीटी एक्ट में आवश्यक संसोधनों पर अनुशंसा करने की बात कही गयी	
<u>पी डी आर अधिनियम में संशोधन</u>- राज्य सरकार के द्वारा ,एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने का प्रस्ताव था , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रंट कोर्ट फीस का भुगतान न कर रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का संशोधित प्रावधान लागू करने की प्रस्ताव था|	52वीं बैठक के बाद कार्यसूची की इस विषय पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है) एवं "गजट-सुचना" जारी किया गया, पर यह प्रस्ताव से भिन्न है , एवं कई जिलों में इसका भी अनुपालन नही हो रहा है एवं वाद दाखिल के समय पूरी कोर्ट-फीस का मांग किया जा रहा है |	प्रधान सचिव,योजना एवं वित्त विभाग द्वारा सभी जिला के उपायुक्तों को इस विषय पर सूचित "गजट-सूचना" का पालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश भेजा गया है राज्य सरकार

" बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम " जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन	52वीं SLBC बैठक के बाद इस विषय पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है - RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, के गठन का परामर्श दिया है| उक्त परामर्श के आलोक में कार्यवाही, विभाग द्वारा विचाराधीन है |	राज्य सरकार
राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना।	Dedicated Certificate Officer के रूप में अवकाश प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति हेतु "लोक मांग वसूली अधिनियम विधेयक" में उपयुक्त संशोधन हेतु मंत्रीपरिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है, विधानसभा के सत्र में यह उपस्थापित हो गया है।	इस विषय पर एसएलबीसी, महाप्रबंधक ने बैठक में उपस्थित लोगों को यह बताया कि माननीय महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड, के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के पास संस्तुति के साथ भेजा गया है, जो अभी लंबित है. **राज्य सरकार**
राज्य में बैंक के खजाने की रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था	राज्य सरकार के महानिरीक्षक - परिचालन ने दिनांक 3.06.2014 को एस आई एस एफ की तैनाती हेतु मॉडलिटिज पर वस्तृत चर्चा के लिए बैठक बुलाया । बैठक में अपेक्षित तैनाती हेतु जवानों की संख्या के अनुसार मासिक प्रभार की सूचना बैंकों को दे दी गई है। इसकी सूचना आरबीआई के इश्यू विभाग को भी दिया गया है। बैंकर्स ने दिनांक 28.07.2014 को आयोजित बैठक में मुद्रा - तिजोरी में	इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बेंक, ने कहा कि यह विषय भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर लंबित नहीं है। उनकी राज्य सरकार के सुरक्षा समिति के साथ बैठक भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि **एस आई एस एफ** के कर्मचारियों की खजाने में तैनाती होनी है। सम्बंधित शर्तों को लागू कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर व्यावहारिक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है,इसी विषय पर **एसएलबीसी**, **महाप्रबंधक** ने स्पष्ट किया कि उप-समिति के बैठक में प्रधान सचिव,

	एस आई एस एफ के लिए लागू प्रभार हेतु अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। इस संबंध में महानिरीक्षक , परिचालन को पत्र दिया गया है। महानिरीक्षक , परिचालन ने उपरोक्त कार्य में नियुक्त एस आई एस एफ के कर्मचारियों को आवास, आतिथ्य, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, परेड मैदान आदि सुविधा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।इन शर्तों को लागू कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है, अत: इस मामले को भारतीय रिजर्व बेंक के इश्यू विभाग को प्रेषित कर दिया गया.	गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, ने उपरोक्त विषय पर बताया कि जो भी वित्तीय जरुरत होगी उस पर पुनः विचार किया जायेगा. झारखण्ड सरकार
आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन .	STATE PROJECT COORDINATOR, RSETI द्वारा भवन निर्माण कि निम्नलिखित अद्यतन स्थिति,बताया गया ➢ भूमि आवंटित किया गया - पाकुड़, दुमका , गोड्डा ➢ आवंटित भूमि पर गांव वालों द्वारा बिरोध किया गया - गदवा ➢ **लातेहार में आवंटित भूमि के ऊपर से उच्च वोल्टेज तार का होना - बैंक बिजली विभाग से संपर्क कर उचित लगत को वहन कर आगे की करवाई सुनिश्चित करे**	➢ PNB/SBI एवं झारखण्ड सरकार

	➢ पीएनबी -रामगढ में भूमि आवंटित कर दी गयी है ➢ सरायकेला में टेंडर हो गया है , शीघ्र ही आगे की करवाई की जायेगी ➢ भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अपर वित्त आयुक्त के कार्यालय में एक समरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर उनके बैंक को आवंटित RSETI भवन निर्माण आरम्भ करने की निर्धारित तिथि बताई जाएगी | ➢ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रांची RSETI के भवन निर्माण के लिए निर्धारित राशि का प्रावधान झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाएगा|	
रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय के लिए राज्य सरकार के द्वारा उपयुक्त भूमि का आवंटन।	52वीं बैठक के कार्यवृत के इस विषय पर श्री सत्येन्द्र सिंह,अपर वित्त आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सम्बंधित आवेदन भूमि राजस्व विभाग से ,योजना एवं वित्त विभाग में प्रस्तुत कर दी गयी है जिसकी कैबिनेट में पारित होने की अनुशंसा भी हो गयी है, कैबिनेट की इस बैठक में यदि पारित नहीं होती है तो अगले बैठक में पारित हो जायेगी .	झारखण्ड सरकार

बैंक से संबधित मामले Issues Pertaining To Banks

मामले	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
आरसेटी भवन का निर्माण कार्य भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, द्वारा शुरू नही किया गया है।	**SBI**- गडवा,लातेहार,पलामू,जामतारा, पाकुर,साहिबगंज **इलाहाबाद बैंक**- दुमका , गोड्डा , हजारीबाग **पी एन बी**- रामगढ , सरायकेला **केनरा बैंक** - RUDSETI सिल्ली **बैठक में निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त जिलों में, संवंधित बैंकों के द्वारा, अविलम्व भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए| अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गयी है तो इसका वहन संबिन्धित बैंक करेंगे।**	**SBI,इलाहाबाद बैंक, पी एन बी व केनरा बैंक**
RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES का बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना	**सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुख अपनी बैंक शाखाओं में आवश्यक दिशानिर्देश दें एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करें एवं SLBC को कन्फर्म करें |**	समस्त बैंक
कार्य सूची संख्या-3	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक	क्रेडिट के सभी क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है, ऋण जमा अनुपात हो , कृषि क्षेत्र या अन्य क्षेत्र , जिसे विकास आयुक्त महोदय ने भी सराहना की.	
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को MSE ऋण में सूक्ष्म इकाईयों के तहत कम से कम 60% ऋण संवितरण का लक्ष्य हासिल करना है।	आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने बताया कि इस लक्ष्य के 52.87% की ही प्राप्ति हुई है।कुछ बैंकों ने 60% से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया है परंतु अधिकांश बैंकों ने इससे काफी कम की उपलब्धि हासिल की है। यह स्थिति असंतोषप्रद है तथा इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।	एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने सभी बैंक-प्रमुखों से कुल एमएसई ऋण में सूक्ष्म इकाइयों के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उपस्थित सभी बैंक-प्रमुखों ने लक्ष्य प्राप्ति का आश्वासन दिया।

वार्षिक क्रेडिट योजना के लक्ष्य एवं ऋण-जमा अनुपात के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति	आरबीआई, के श्री अमित सिन्हा ने सीडी अनुपात तथा एसीपी उपसमिति की बैठक को एसएलबीसी की सभा आयोजित करने से पहले करने की सलाह दी ताकि इनसे संबन्धित मुद्दों पर विस्तृत परिचर्चा की जा सके। झारखंड में बैंकों के **ऋण जमा अनुपात** में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। कुछ बैंकों में यह अनुपात 40% से भी कम है। एस एल बी सी, महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने कहा कि सीडी अनुपात तथा एसीपी उपसमिति की बैठक दिसम्बर,2015 में की जायेगी। **उन्होने सभी बैंकों से जिनका ऋण-जमा अनुपात 40% से कम है,एक सुदृढ़ कार्य-योजना बना कर इस दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया ताकि मार्च, 2015 तक ऋण-जमा अनुपात 40% से अधिक हो सके। इस पर सभी बैंक-प्रमुखों ने अपनी सहमति जताई।**	सभी बैंक
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	इस क्षेत्र में 12.25% की वार्षिक (Y-Y) वृद्धि दर्ज की गयी है . समग्र प्राथिमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 50.91% है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40% से काफी ज्यादा है.	
कार्य सूची संख्या-४	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि	इस विषय पर सेक्टर के अनुसार उपलब्धि पर चर्चा करते हुए एस एल बी सी ने बताया की विगत वर्ष की इसी छमाही की तुलना में इस वर्ष सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है तथा आनुपातिक आधार पर लक्ष्यों की उपलब्धि पिछली वित्तीय वर्ष के सितम्बर अर्द्ध-वर्ष से इस इस वित्तीय वर्ष के सितम्बर अर्द्ध-वर्ष में	

	काफी अधिक है। कृषि क्षेत्रों में- **59.79%** वृद्धि एम् एस ई -**140.26**% वृद्धि अन्य प्र.क्षेत्र- में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गयी है। कुल ऋण : 10.07%	
कार्य सूची संख्या-5	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
5.1. **कृषि क्षेत्रों में केसीसी रुपे कार्ड जारी करना**	बैठक में बैंकों के द्वारा सभी **केसीसी ऋण खातों में केसीसी रुपे कार्ड नहीं जारी करने पर असंतोष जताया गया.** CGM, **नाबार्ड द्वारा बताया गया कि मात्र** 40% **खातों में ही लोगों को केसीसी रुपे कार्ड वितरित किया जा सका है। कई एक बैंकों द्वारा बताया गया कि अनेकों केसीसी कार्ड धारकों के रुपे कार्ड पहुँच चुके हैं परन्तु इसे लेने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। इस विषय पर अगले उप- समिति में चर्चा करने की बात हुई है साथ ही सभी बैंकों से सभी खाताओं में रुपे केसीसी कार्ड जारी करने का आग्रह किया गया।**	समस्त बैंक
5.2. **(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का वित्त पोषण(प्राथिमकता प्राप्त क्षेत्र)**	**सूक्ष्म एवं छोटे उद्योग का वित्त पोषण (प्रथिमकता प्राप्त क्षेत्र) क्षेत्र में भी ऋण प्रवाह की राशि में पिछले वर्ष की छमाही के एमएसई की तुलना में 52.87% की वृद्धि दर्ज की गयी है। मध्यम उद्योग के क्षेत्र में विशेषकर सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गयी है.** **चूँकि यह राज्य विभिन्न खनिज संसाधनों/सम्पदाओं से परिपूर्ण है इस**	

	लिए ऋण वितरण की प्रचुर संभावना है। **एस एल बी सी के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित बजट सभी बैंकों के सहयोग से प्राप्त कर लिया जायेगा**	**एसएलबीसी/ समस्त बैंक**
5.2.**(ख)** **"<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u>"**	**विगत तिमाही में झारखंड राज्य में "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" के अंतर्गत ऋण स्वीकृति की उपलब्धि काफी सराहनीय रही है। इसके लिए पूरे राज्य में अक्तूबर महीने में ऋण संवितरण के लिए एसएलबीसी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। इस सिलसिले में दुमका में 02.10.2015 को एक मेगा ऋण अभियान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" का विधिवत लोकार्पण किया।** **एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के लिए निर्धारित रु.200 करोड़ के विरुद्ध झारखंड राज्य में रु. 214 करोड़ की राशि 136000 लाभुकों के लिए सभी बैंकों द्वारा स्वीकृत की गयी। यह उपलब्धि लक्ष्य से काफी अधिक है। झारखण्ड राज्य ही ऐसा राज्य है जहाँ बैंकों ने लक्ष्य से ज्यादा की उपलब्धि प्राप्त की है। इस मेगा अभियान की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों की प्रशंसा की तथा बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, वित्त-मंत्रालय, राज्य सरकार के द्वारा एसएलबीसी को प्रशंसा एवं बधाई पत्र दिया गया है।** **एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने इस अभियान का श्रेय राज्य के सभी बैंकों के अथक प्रयास को**	

	दिया तथा इसके लिए उन्हे हार्दिक बधाई दी।।उन्होने नाबार्ड,जेएसएलपीएस तथा झारखंड सरकार के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।	
भा. रि. बै. के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने कार्यसूची की पृष्ठ संख्या 13 में त्रुटि - "मध्यम ऋण को गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र" में **दिखाया गया है , इसे सुधार कर "प्राथमिकता" वाले क्षेत्र" में करने का सुझाव दिया।** **भा. रि. बै. के महाप्रबंधक श्री बारला ने** item **संख्या 4 में- सूक्ष्म एस एम् ई ऋण प्रतिशत** ANBC/NBC **की तुलना में दर्शाने के लिए अलग कॉलम समाविष्ट करने का सुझाव दिया।** **भा. रि. बै. के प्रतिनिधि ने सूक्ष्म एस एम् ई ऋण के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया।**	एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने दोनों त्रुटियों को संशोधित करने का निर्देश दिया। सभी बैंक-प्रमुखों ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपनी सहमति जाहीर की।	एस एल बी सी समस्त बैंक
5.3 **<u>शिक्षा-ऋण</u>**	**राज्य में शिक्षा ऋण संवितरण की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में असंतोषप्रद है तथा स्वीकृत आवेदनों की संख्या काफी कम दर्ज की गयी है।** **निजी क्षत्र के बैंक ने मात्र** 139 **आवेदकों को शिक्षा ऋण प्रदान किया है।यह आंकड़ा चिंताजनक है।** इस असंतोषजनक उपलब्धि पर एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने सभी बैंको से कहा कि चूँकि यह एक	समस्त बैंक

	गंभीर विषय है, अतः इस क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी बैंकों को मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। एस एल बी सी के महाप्रबंधक ने **अनुरोध किया कि जिस प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों ने मुद्रा योजना में सराहनीय कार्य किया है उसी प्रकार वे राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान दें।** **भा. रि. बै. के क्षेत्रीय निदेशक ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होने सभी बैंकों को शिक्षा-ऋण प्राप्त विद्यार्थियों के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने को कहा ताकि शिक्षा-ऋण में संभावित एनपीए खातों की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।**	
5.4 **<u>गृह-ऋण</u>**	**गृह ऋण संवितरण पिछले वर्ष की तुलना में रु.4326.04 करोड़ से बढ़ कर रु.** 4786.38 **करोड़ हुआ है जो कि काफी मामूली वृद्धि दर्शाता है।अतः इस क्षेत्र में प्रगति काफी असंतोषप्रद है।** **इस संदर्भ में भा. रि. बै. के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु नक्शा पास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त नहीं है, इसलिए बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-ऋण स्वीकृत करने में काफी कठिनाई होती है।गृह-ऋण संवितरण की मात्रा में कमी का एक मुख्य कारण यह भी है।** एस एल बी सी के महाप्रबंधक ने भी झारखंड राज्य में लागू सी एन टी एक्ट की जटिलता पर चिंता व्यक्त की। इसके चलते आवास बंधक रख कर गृह-ऋण की स्वीकृति नहीं हो पाती है। उन्होंने इस संबंध में सूचित किया कि सरकार इस दिशा में एक	राज्य सरकार राज्य सरकार

	समिति बना कर पहल कर रही है जिससे 10-15 वर्षों तक के लिए बंधक रखा कर गृह-ऋण प्राप्त हो सके।	
5.5 ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी <u>हेतु ऋण प्रवाह</u> (5.5.1) अल्पसंख्यक के लिए ऋण	अल्पसंख्यक समुदाय को वितरित ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गयी है। भा. रि. बै. के श्री अमित सिन्हा ने बताया कि डीएलसीसी कि बैठक में राज्य सरकार के अल्प संख्यक आयोग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है। इस पर अग्रणी जिला प्रबंधकों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई नामित नोडल पदाधिकारी नहीं है। एस एल बी सी के महाप्रबंधक ने आयोजना एवं वित्त विभाग, झारखंड राज्य सरकार के ओएसडी श्री बी के सिन्हा को डीएलसीसी की बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के नोडल पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया तथा एसएलबीसी को सूचित करने का निर्देश दिया।	ओएसडी, श्री बी के सिन्हा
5.5.2 <u>महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह</u>	**इस वित्तीय वर्ष में समाप्त छमाही सितम्बर.2015 तक 20.39% की वृद्धि दर्ज की गयी है।**	
5.5.3 <u>डी आर आई ऋण के लिए ऋण प्रवाह</u>	**डी आर आई ऋण का संवितरण निर्धारित बजट का मात्र** 0.05% **हुआ है जो कि अपेक्षित न्यूनतम बजट 1% से काफी कम है।** एसएलबीसी महाप्रबंधक ने बैंकों से चालू वित्तीय	समस्त बैंक

	वर्ष में कम से कम **0.50%** ऋण इस क्षेत्र में करने को कहा।सभी बैंक-प्रमुखों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।	
5.5.4 <u>**अनु.जा./अनु.जन.जाति के लिए ऋण प्रवाह**</u>	**इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह कुल ऋण का** 18.68% **रहा है तथा इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2.48% की वृद्धि हुई है।**	
5.6 एस एच जी महिलाओं के वित्तपोषण हेतू योजना	**एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने सभा को सूचित किया कि पिछले समाप्त तिमाही में बैंकों ने एसएचजी लिंकेज के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट कार्य किया है। सभी बैंकों को इसी गति के साथ क्रेडिट लिंकेज के कार्य को बरकरार रखते हुए अधिक से अधिक महिला समूहों को इससे जोड़ना चाहिए।उन्होने नाबार्ड तथा जेएसएलपीएस को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस मण्डल तथा जेएसएलपीएस के श्री होरो ने भी सभी बैंकों को उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया। जेएसपीएलएस ने चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को हासिल करने हेतु जनवरी 2016 में एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए एक मेगा ऋण शिविर के आयोजन का प्रस्ताव रखा। एसएलबीसी के महाप्रबन्धक श्री एम के गुप्ता ने इसका समर्थन किया तथा सभी बैंक-प्रमुखों ने अपनी सहमति जताई।**	एसएलबीसी एवं समस्त बैंक जेएसएलपीएस, एसएलबीसी एवं समस्त बैंक
5.7 एनआरएलएम(NRLM)	**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।**	

कार्य सूची संख्या - 6 **प्रधानमंत्री जनधन योजना** (PMJDY)	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**
पी एम् जे डी वाई एवं वित्तीय समावेशन के तहत एस एस ए(SSA) में बैंकिंग कार्य कर रहे बैंक मित्रों के लेन-देन की डाटा/ विवरणी का एसएलबीसी की वेब साईट पर अपलोड करना	**सभी बैंको के लिए पी एम् जे डी वाई एवं वित्तीय समावेशन के तहत एस एस ए(SSA) में बैंकिंग कार्य कर रहे बैंक मित्रों के लेन-देन की डाटा/ विवरणी का** एसएलबीसी की वेब साईट पर मासिक अंतराल पर नवम्बर माह से माह के प्रथम सप्ताह में अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। एसएलबीसी के द्वारा सम्बंधित बैंकों को यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। एसएलबीसी इस प्रकार से प्राप्त डाटा डीबीटी सेल, झारखण्ड को अग्रसारित करेगा। एसएलबीसी,झारखंड ने सबसे पहले बैंक-मित्रों के कार्यों की सूक्ष्म-स्तरीय निगरानी से संबन्धित यह व्यवस्था लागू करने की पहल की है। बैठक के दौरान , भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने सभी बैंकों को **PMJDY** के अंतर्गत लक्ष्य से ज्यादा खाता खोलने पर बधाई दी तथा इसके साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। सभी खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड , विशेषकर अशिक्षित लोगों को इस कार्ड का सदुपयोग करने के लिए शिक्षित करने पर बल दिया। इस योजना मे खुले हुये खाता धारकों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ते हुए उन्हे क्रेडिट सुविधा प्रदान करने का प्रयास करना है।	समस्त बैंक एसएलबीसी/समस्त बैंक
कार्य सूची संख्या-7	**बर्तमान स्थिति**	**जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है**

एनपीए एवं वसूली	झारखंड राज्य में एनपीए की स्थिति काफी चिंताजनक है तथा वर्ष-दर-वर्ष इसमें तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है।पिछले समाप्त तिमाही सितम्बर,2015 को सकल NPA कुल अग्रिम का 6.21% था जो काफी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की तथा एनपीए का प्रतिशत हर हाल में कम करने का निर्देश दिया। इसके लिए SARFAESI एक्ट एवं सर्टिफिकेट केस के तहत दर्ज मामलों का निपटारा त्वरित रूप से करने पर ज़ोर दिया। DLCC की सभाओं में भी चर्चा कर इसका समाधान ढूढ़ा जाना चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनसे संबन्धित काफी मामले लंबित हैं एवं इनके निपटारे की गति काफी धीमी है। राज्य सरकार के अतिरिक्त वित्त आयुक्त श्री सत्येंद्र सिंह ने इस संबंध में एसएलबीसी से एक पत्र ड्राफ्ट कर उनके विभाग को भेजने का अनुरोध किया ताकि सभी Deputy Commissioners को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए उचित एवं त्वरित कार्रवाई के लिए संवेदनसिल बनया जा सके।एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने इसका समर्थन किया तथा सभी बैंक- प्रमुखों से उनके बैंक के लंबित मामलों की सूची एसएलबीसी को भेजने का अनुरोध किया ताकि इसे राज्य सरकार के संज्ञान मे ला कर इसका त्वरित समाधान किया जा सके।	सभी बैंक/एसएलबीसी/ राज्य सरकार

कार्य सूची संख्या-8	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि कुछ बैंकों के द्वारा PMEGP के तहत प्राप्त आवेदनों के ई-ट्रैकिंग व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। अतः सभी बैंक-प्रमुखों को इसके लिए उपयुक्त दिशा निर्देश जारी कर इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।	समस्त बैंक
कार्य सूची संख्या-11 **<u>विविध कार्यसूची</u>**		
i) <u>National Urban Livelihood Mission(NULM)</u> योजना के तहत झारखंड में विभिन्न बैंकों में लंबित आवेदनों के संबंध में। **<u>प्रस्तावक : भारतीय रिजर्व बैंक</u>** **ii) <u>Area Based Banking Plan का प्रभावी कार्यान्वयन</u>** **<u>प्रस्तावक:नाबार्ड</u>**	**इस योजना को कार्यान्वित करने तथा सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री पैट्रिक बारला ने शहरी विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा एक कार्य-शाला आयोजित करने का सुझाव प्रस्तावित किया। विभाग के प्रतिनिधि ने निकट भविष्य में कार्य-शाला के आयोजन पर अपनी सहमति दी।** **नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस मण्डल ने इस योजना की संक्षिप्त जानकारी दी तथा बताया कि डीएलसीसी की सभाओं में Area Based Banking Plan का अनुमोदन हो चुका है।उन्होने बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।सभी बैंक प्रमुखों ने अपनी सहमति जताई।**	**शहरी विकास विभाग,झारखंड सरकार** **समस्त बैंक**

III) Joint Liability Group(JLG) के तहत वित्तपोषण में अपेक्षित गति प्रदान करने हेतु **प्रस्तावक: नाबार्ड**	**एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने सभी बैंक प्रमुखों से JLG के क्रेडिट लिंकेज को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अपनी शाखाओं को देने को कहा जिस पर सभी ने सहमति जताई।**	**समस्त बैंक**
IV) कुल 3500 बुनकर क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति **प्रस्तावक:नाबार्ड**	**जिलावार लक्ष्य बैंकों को राज्य हैंडलूम विभाग के द्वारा दिया जाना है**	**राज्य सरकार**
V) 16 उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंक शाखा खोलना **प्रस्तावक:गृह एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार**	**वित्त मंत्रालय , भारत सरकार के आदेशानुसार 5000 से ज्यादा आबादी वाले वामपंथी उग्रवाद से अतिप्रभावित गाँवों में बैंक की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव है। शाखा खोलने के सम्बन्ध में** क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि झारखंड ग्रामीण बैंक तथा वनांचल ग्रामीण बैंक की गैर -निष्पादित आस्तियां अधिक होने के कारण(3% से अधिक) नियमानुसार वे शाखा खोलने हेतु स्वयम निर्णय लेने में असक्षम है। **परंतु ये दोनों ग्रामीण बैंक शाखा खोलने के लिए अपना आवेदन नाबार्ड को भेज सकते हैं। नाबार्ड अपनी अनुशंसा भा. रि. बै., क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रसारित करेगा, तद्नुपरांत भा. रि. बै. केंद्रीय कार्यालय द्वारा शाखा खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।**	झारखंड ग्रामीण बैंक तथा वनांचल ग्रामीण बैंक **/ नाबार्ड/ भा. रि. बै., क्षेत्रीय कार्यालय**
VI) बैंकों द्वारा वित्तपोषित एवं दृष्टिबंधक रखे गए वाहनों को जारी परमिट के नवीकरण के समय	**झारखंड राज्य में वाहन-ऋण से संबन्धित एनपीए की समस्या को कम करने के लिए परमिट नवीकरण के समय संबन्धित बैंकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा**	

संबन्धित बैंकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक बनाने का प्रस्ताव प्रस्तावक: एसएलबीसी, झारखंड	की गयी। सभा को बताया गया कि पश्चिमी बंगाल में यह प्रावधान लागू है।झारखंड सरकार के अतिरिक्त वित्त आयुक्त श्री सत्येंद्र सिंह ने उनके कार्यालय तथा ट्रांसपोर्ट ऑफिस को पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव भेजने को कहा।	एसएलबीसी/राज्य सरकार

सभा के अंत में श्री डी के पंडा, उप-महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया एवं तत्पश्चात एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने सभी का धन्यवाद करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की।